# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
## समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
## सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 713—II/2010 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19—03—2010 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 138/अपील/2005—06

.......

होतम सिंह पुत्र भंव सिंह (मृतक) वारिसान—
1— श्रीमती काशीबाई पत्नी स्व0 श्री होतम सिंह
2— नरेश सिंह पुत्र स्व0 श्री होतम सिंह
निवासीगण—ग्राम गौअरा, तहसील मेहगांव,
जिला—भिण्ड, (म0प्र0)

................ अनावेदकगण

**विरूद्ध**

महिला श्री कुअंर पत्नी राजेन्द्र सिंह
निवासी— गोअरा, तहसील मेहगांव
जिला—भिण्ड(म0प्र0)

.............................आवेदिका

...............
श्री आशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदिका
श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदकगण
...............

**आदेश**
(आज दिनांक 16—1—2017 को पारित )

आवेदिका द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 19—03—2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक होतम सिंह ने ग्राम गोअरा स्थित आराजी क्रमांक 1346 रकबा 0.50 है0 का दौरान बन्देबस्त नक्शा मौका कम बनाया गया है। इस बावत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव के समक्ष संहिता की धारा 89 के तहत आवेदन

प्रस्तुत कर नक्शा मौका दुरूस्ती चाही गई। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा कराई गई। सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा आदेश पारित कर निर्देश दिया गया कि आराजी नं0 1344, 1345, व 1346 की सीमायें दुरूस्त होगी। अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष निरगानी प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 04/2004–05/पुर्नविलोकन पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 08.12.2005 निरस्त कर दी गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदिका द्वारा अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष पेश की गई। अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 138/2005–06/अ0मा0 पर पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 19–03–2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायलय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक एवे अनावेदिका के मध्य हुये वैचारिक राजीनामा के तहत आवेदक एवं अनावेदिका ने राजीनामा तैयार कर आवेदक ने हस्ताक्षर कर अनावेदिका को हस्ताक्षर करने हेतु दे दिया, जिसे अनावेदिका ने दिनांक 29.01.2010 को उक्त दस्तावेज न्यायालय अपर आयुक्त संभाग चम्बल में प्रस्तुत कर दिया, फिर आवेदक को किसी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि राजीनामा पर अनावेदिका के अंगूठे का निशान नहीं लगा। यह निशान अनावेदिका के पुत्र दर्शन सिंह ने लागकर पेश किया तब दिनांक 12.03.2010 को आवेदक ने अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में आवेदन–पत्र एवं शपथ–पत्र देकर कहा कि उक्त मेरा प्रकरण राजीनामा के आधार पर फैसला न देकर गुण–दोष के आधार पर फैसला चाहा, जिसे अपर आयुक्त ने देखे समझे बिना राजीनामा आवेदन–पत्र के आधार पर आदेश पारित कर दिये जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर यह बताया कि अनावेदक होतम सिंह ने अपने जीवनकाल में माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.02.2010 को राजीनामा प्रस्तुत कर यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि, जिसका पुराना सर्वे नम्बर 2599

था तथा नया नम्बर 1344 हो गया है, श्रीकुअंर का रहेगा तथा अपने शपथ पत्र में होतम सिंह ने यह भी लिखा है कि, मैंने विवादित आराजी पर जो अपील की है वह रंजिशन की थी। वास्तविकता में जमीन श्रीकुअंर की ही है। मैंने जो दावा किया है वापिस लेता हूँ, अर्थात् मेरे द्वारा जो दावा किया गया है उसे खारिज किया जावे तथा शपथ पत्र में यह भी लिखा है कि, आराजी सर्वे क्रमांक 1344 व 1345 पर श्रीकुअंर व राजेन्द्र सिंह जिस प्रकार उपयोग करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अनावेदक होतम सिंह द्वारा राजीनामा स्वच्छा से बिना किसी दबाव बहकाव या प्रलोभन के माननीय न्यायालय में किया है, राजीनामा पेश करने के बाद होतम सिंह या उसके वारिसानों की ओर से ऐसी कोई आपत्ति नहीं की गई है कि राजीनामा धोखे से या किसी दबाव या बहकाव प्रलोभन से कराया गया था। होतम सिंह द्वारा किये गये राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में निगरानी विचार योग्य नहीं रही है। अनावेदक होतम सिंह के वारिसान होतम सिंह द्वारा किये गये राजीनामा व राजीनामा में की गई स्वीकारोक्ति से बन्धे हुये है अर्थात् होतम सिंह के वारिसानों को निगरानी संचालित रखने का कोई अधिकार नहीं हैं होतम सिंह के वारिसानों पर भी विचारण न्यायालय का व्यवस्थापन आदेश लागू होता है। उन्होंने लिखित तर्क में यह भी कहा है कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में इश्तहार बावत् निकाला गया यह निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है। इश्तहार दिनांक 27.07.1996 के लिये था। दिनांक 27.07.1996 को प्रकाशित नहीं हो सकने के कारण ही उक्त दिनांक को काट कर 18.08.1996 अंकित कर इश्तहार प्रकाशित किया गया है। इश्तहार के प्रोफार्मा का उपयोग नहीं हुआ है तब पुनः नये रूप से इश्तहार के प्रोफार्मा बनाना आवश्यक नहीं था। अपील/निगरानी की अनुमति के आवेदन से निगरानीकर्ता को यह बताना आवश्यक है किवह किस प्रकार से विवादित भूमि में या सम्पत्ति में हित रख्ता है अर्थात् वह हितबद्ध पक्षकार है। अपील/निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति तब ही दी जा सकती है जब प्रस्तुतकर्ता यह सिद्ध कर दे की वे वह विवादित सम्पत्ति में हितबद्ध है। अनावेदक होतम सिंह ने ना तो निगरानी की अनुति प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रथम अपील न्यायालय में प्रस्तुत किया था और न ही यह सिद्ध किया था ह विह किस प्रकार से हितबद्ध हैं । अनावेदक के स्वामित्व की भूमि विवादित भूमि से लगी हुई नहीं है और न ही उसका कब्जा रहा है। उक्त तथ्य होतम सिंह ने स्वयं अपने राजीनामा व शपथ पत्र में स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस न्यायिक दृष्टांत 1996 आर.एन. 351 यशवंत सिंह बनाम मध्यप्रदेश शासन को आधार मानकर यह निष्कर्ष निकाला है कि विलम्ब माफी पर उदार रूख अपनाया जाना चाहिये, सामन्यतः विलम्ब

माफ किया जाना चाहिये पूर्णतः उक्त न्यायिक दृष्टांत की मनसा के विपरीत है। न्यायालय आनन्द लेने का स्थान नहीं कि पक्षकार की जब मर्जी हो तब न्यायालय के समक्ष अपील/निगरानी प्रस्तुत कर दे। उदाररूख से तत्पर्य ऐसे कारण से है जो यथासमय पूर्ण सावधानी बरतने के बाद भी या तो जानकारी न हो सकी हो या सार्मथ से बाहर हो। विवादित सर्वे न0 2599, जिसका नया सर्वे न0 1344 हो गया है वह प्रार्थिया के निजी स्वतव स्वामित्व के सर्वे नम्बर 2603 जिसका नया नम्बर 1331 हो गया है से लगा हुआ है, जबकि विवादित सर्वे नम्बर 2599 नया नम्बर 1344 अनावेदक होतम सिंह के स्वामित्व के सर्वे नम्बर 2370 व 2598 के कतई लगा हुआ नहीं है। राजस्व नक्शा संलग्न किया गया है। अंत में अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि ग्राम गोअरा स्थित आराजी क्रमांक 1346 रकबा 0.50 है0 का दौरान बन्देबस्त नक्शा मौका कम बनाया गया है। इस बावत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव के समक्ष संहिता की धारा 89 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नक्शा मौका दुरूस्ती चाही गई। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा कराई गई। सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। इसी प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा सीमायें दुरूस्ती के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध अनावेदिका द्वारा कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष पुर्नविलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर, भिण्ड द्वारा प्रकरण का पूर्ण विवेचना कर संहिता की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत पुर्नविलोकन का आवेदन–पत्र अमान्य किया है। जिसके खिलाफ अनावेदिका द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई एवं साथ ही संयुक्त हस्ताक्षर से एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया कि वे अब प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते है, राजीनामा हो गया है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जावे। अपर आयुक्त चम्बल द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण उभयपक्ष की मांग पर समाप्त किया गया एवं दिनांक 03.02.2006 को दिया गया स्थंगन आदेश भी निरस्त किया गया ।

6/ प्रकरण में प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक और अनावेदिका का उक्त वादगस्त भूमि के संबंध में राजीनामा हो चुका है, जिसकी पुष्टि आवेदक

एवं अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष प्रकरण को आगे चालने में कोई रूचि नहीं ले रहें है। ऐसे में प्रकरण न्यायालय में चलाने में कोई औचित्य नहीं है । अतः इसी स्तर पर प्रकरण समाप्त किया जाना ही उचित है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने जो आदेश पारित किया है, विधिसम्मत है । अतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2010 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर